भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

नं1 विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट तिरुच्चिरापल्लि-620001

सी सं II/03/03/2012-स्थापना **दिनांक 07.06.2018**

स्थापना आदेश संख्या 17/2018

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के पत्र संख्या 35034/3/2008-स्था (घ) दिनांक 19.05.2009 तथा वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. नं ओ -26017/76/2009- एडी,IIए दिनांक 17.06.20109 के अनुसरण में 21.05.2018 को एक छानबीन समिति की बैठक बुलायी गयी और संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी. स्कीम) के तहत पे बैंड के पदानुक्रम में अगले उच्च ग्रेड पे/ 7वॉ सीपीसी के अनुसार पे बैंड के पदानुक्रम में समीक्षित पे मेट्रिक्स में अगला उच्च स्तर / बैंड के पदानुक्रम में समीक्षित पे मेट्रिक्स में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से निम्नलिखित अधिकारियों को एतत्‌द्वारा वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती	पदनाम	सं.स.कै.प्रो.योजना (I,II,III)	सं.स.कै.प्रो.योजना कब से प्रभावी	वर्तमान कार्य स्थान
1.	जे. रामर	अधीक्षक	III	पे बैंड 3 में ग्रेड वेतन 5400 18.02.2017 से प्रभावी	सीमा शुल्क मंडल तलूतक्कुडि से 31.05.2017 को सेवानिवृत्त
2.	पी. सेन्दिलकुमरन	स्किप्पर मेट	I	पे बैंड 2 में ग्रेड वेतन 4800 23.04.2018 से प्रभावी	सीमा शुल्क मंडल नागै

स्था आदेश सं 22/2014 दिनांक 29.04.2014 (फाइल सी.सं. II/3/3/2012-स्था.सी शु में जारी) का शुद्धिपत्र जाता है।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती	पदनाम	सं.स.कै.प्रो.योजना (I,II,III)	सं.स.कै.प्रो.योजना कब से प्रभावी	वर्तमान कार्य स्थान
1.	आर. सुंदर	अधीक्षक	III	पे बैंड 3 में ग्रेड वेतन 6600 10.10.2013 से प्रभावी	चेन्नै स्थित विधिक कक्ष, तिरुच्चि से 31.05.2017 को सेवानिवृत्त
2.	एल. शंकर	अधीक्षक	II	पे बैंड 2 में ग्रेड वेतन 4800 06.12.2012 से प्रभावी (11.04.2013 से आगे लाया गया)	सीमा शुल्क मुख्यालय, तिरुच्चि

श्री आर. सुन्दर, अधीक्षक (उपरोक्त द्वितीय तालिका के क्रम सं 1) (31.05.2017 को सेवानिवृत्त) को दिए गए ।।। सं.स.कै.प्रो. की योग्यता बोर्ड द्वारा आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद-IV के नाम भेजे गए पत्र फा.सं.ए-26017/166/2009-प्रशा ।।ए दिनांक 25.01.2011 के अनुसार तय किया गया ।

2. उपर्युक्त अधिकारियों को प्रदान किया गया वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

I. वित्तीय उन्नयन से लाभार्थी के पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम के अवधारण के साथ प्रदान किए गए है और उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन उच्च हैसियत से संबंधित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता।

II. संशोधित आश्वस्त केरियर प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन सभी पदस्त अधिकारियों के लिए पूर्णतः व्यैक्तिक है तथा यह संबंधित अधिकारी की प्रकार्यात्मक पदोन्नति के बराबर नहीं है तथा आगे उनकी परस्पर वरिष्ठता की स्थिति से इसकी संबद्धता नहीं होगी जैसे कि कनिष्ठ अधिकारी को संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्च वेतन मान मिलने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा। कनिष्ठ वरिष्ठ की परिकल्पना, संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के पीछे की धारणा से काफी भिन्न है।

III. अगर वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले नियमित पदोन्नति की पेशकश को अधिकारी अस्वीकार कर देता है तो कोई भी वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे अधिकारी का अवसर की कमी के कारण उन्नयन अवरुद्ध नहीं हुआ है तथापि अगर अवरुद्धता के कारण वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है तथा तत्पश्चात अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करता है तो यह वित्तीय उन्नयन की वापसी का आधार नहीं होगा। तथापि वह जब तक पुनः पदोन्नति के लिए सहमत नहीं होता तब तक उसे आगे के लिए वित्तीय उन्नयन का पात्र नहीं माना जाएगा। तथा दूसरी वित्तीय उन्नयन भी इंनकार के कारण रोक की अवधि तक आस्थगित कर दिया जाएगा।

IV. इनको संस्तुत संशोधित पे बैंड व ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च ग्रेड में रखा गया है इसलिए संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय ग्रेड वेतन, कुछ मामलों में जहाँ दो लगातार ग्रेड के बीच नियमित पोदन्नति नहीं हुई है, नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड से भिन्न होंगे। ऐसे मामलों में संबंधित कॉडर/संगठन के पदानुक्रम में अगले पदोन्नति पद से संबद्ध उच्च ग्रेड वेतन केवल नियमित पदोन्नति के समय दिया जाएगा।

V. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभ भी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय दिए जाएंगे। इसलिए ऐसे उन्नयन से पहले पे बैंड तथा ग्रेड वेतन में आहरित कुल वेतन को 3% बढ़ा दी जाएगी। तथापि अगर संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत दी गई ग्रेड पे समान है तो नियमित पदोन्नति में कोई आगे नियतन नहीं होगा तथापि अगर वास्तविक पदोन्नति के समय अगर संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उपलब्ध ग्रेड से उच्च ग्रेड के पद में पदोन्नति होती है तो वेतन नियतन नहीं होगा केवल ग्रेड वेतन का अंतर दिया जाएगा।

VI. उनके संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन जो कि स्व स्थाने है तथा जिनमें उच्च कर्तव्य और जिम्मेदारी ग्रहण शामिल नहीं है, विशेष व्यवस्था के रूप में , उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख यानी वर्ष की 1 जुलाई से वेतन नियत किए जाने हेतु उनका वेतना एफआर 22(1) ए (1) के तहत नियत किया जाएगा। वेतन एवं वेतन वृद्धि की तारीख व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1/2008-आई सी दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार नियत होगा।

VII. पिछला कोई मामला दुबारा नहीं खोला जाएगा। आगे संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना का कार्यान्वयन करते समय एक ही कॉडर में पुरानी सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना (अगस्त 19991 की) तथा संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना के अपग्रेडेशन के कारण वेतनमान में अंतर को विसंगति नहीं माना जाएगा।

VIII. वेतन वृद्धि की तारीख के आधार पर (वर्ष की 1 जुलाई से) उच्च वेतनमान में वेतन नियत करने के लिए आदेश प्राप्त होने के एक महीने के अंदर पदधारी द्वारा विकल्प का प्रयोग भी अनुज्ञेय है। ऐसे विकल्प का एक बार प्रयोग किया जाना अंतिम माना जाएगा।

3. चूंकि मंडल कार्यालयों द्वारा दिए गए ब्योरे के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन दिया गया है अतः उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन को कार्यान्वयन करते समय हर मामले में तथ्यों का सत्यापन उनके सेवा ब्योरे से किया जाए

4. उपर्युक्त अधिकारियों का वेतन नियत करने से पहले कार्यालय प्रमुख को शर्तों से संतुष्टि कर लेना चाहिए।

(जे. मुहम्मद नवफल)
संयुक्त आयुक्त (का एवं स)

सेवा में
संबंधित व्यक्तियों को ... संबंधित अधिकारी द्वारा
प्रतिलिपि प्रस्तुत :
प्रधान मख्य आयक्त, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शल्क, तमिलनाडु व पदुच्चेरी जोन ।
मख्य आयक्त, सीमा शल्क (निवारक), तिरुच्चि ।
आयक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि ।
आयक्त, लॉजिस्टिक्स निदेशालय, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चौथा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110511
प्रतिलिपि :
सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम,/रामनाड/तूत्तुक्कुडि ।
मुलेअ/वेलेअ, मुख्यालय, तिरुच्चि ।
प्रशासनिक अधिकारी (आसंअ), सीमा शुल्क मख्यालय, तिरुच्चि ।
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा), सीमा शुल्क मख्यालय, तिरुच्चि ।
अधीक्षक, (सतर्क/गो/कार्मिक), मुख्यालय तिरुच्चि/ विधिक कक्ष (तिरुच्चि) चेन्नै स्थित ।